पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या-11621

==========

सिनकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक पंजीकृत कंपनी है जिसका पंजीकृत व्यवसाय का स्थान - यूएफ-126, मैजेस्टिक प्लाजा, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना- 800001 को इसके एक निदेशक तरुण कुमार, पुरुष, उम्र लगभग 40 के माध्यम से वर्ष, कार्तिक कुमार पुत्र, निवासी मकान नं.-153 ए, रोड नं. 08, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना, बिहार-800013

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. भारत संघ, केंद्रीय सरकार के प्रधान मुख्य आयुक्त के माध्यम से जीएसटी और सीएक्स, केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना।
2. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर, लेखापरीक्षा अंचल, पटना।
3. अधीक्षक (ग्रुप-06), केन्द्रीय कर, लेखापरीक्षा अंचल, पटना।
4. सहायक आयुक्त सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पटना सेंट्रल प्रभाग, चंद्रपुरा पैलेस, दादीमा मंदिर के सामने, बैंक रोड, गांधी मैदान, पटना-800001

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 11621/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता
श्री अटल बिहारी पांडे, अधिवक्ता
श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता
श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता
श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता
श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : डॉ. कृष्ण नंदन सिंह (एएसजी)
श्री अंशुमान सिंह सीनियर एससी, सीजीएसटी एवं सीएक्स
श्री देवांश शंकर सिंह, एएसजी के जेसी
श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, एएसजी के जेसी

(दीवानी रिट अधिकारिता मामला संख्या 3592/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री रणजीत कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : डॉ. कृष्ण नंदन सिंह (एएसजी)

श्री अंशुमान सिंह सीनियर एससी, सीजीएसटी एवं सीएक्स

श्री देवांश शंकर सिंह, एएसजी के जेसी

श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, एएसजी के जेसी

==========

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, 2017 (यहां के बाद 'कानून') धारा 74(1), 74(5) पढ़ें साथ में नियम 142, धारा 88B, धारा 168(1)

अपील

*यह अपील उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दो आपत्तियों के खिलाफ प्रीमप्टरी कर वसूली की जा रही है। ये आपत्तियाँ 2017-2018 और 2018-2019 के लिए ब्याज भुगतान से संबंधित हैं। जबकि अन्य सात आपत्तियाँ जो ऑडिट में उठाई गई थीं, उनके खिलाफ **30/12/2022** को **धारा 74(5) पढ़ें साथ में नियम 142** के तहत एक मांग नोटिस जारी किया गया था। बाद में, **18/7/2023** को **धारा 74(1)** के तहत सात अन्य आपत्तियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, जिनमें से दो आपत्तियाँ पहले ही मांग के अधीन थीं। ब्याज का मुद्दा हालांकि स्वचालित रूप से कानून के तहत लागू होता है, यह इस पर निर्भर करता है कि कर कब देय हुआ और कर का भुगतान कब किया गया तथा किस माध्यम से किया गया। वस्तु और सेवा कर शासन के तहत, ब्याज का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि डेबिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से किया गया था या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से।*

***कंटेंशन** के अनुसार, यह भी कहा गया कि प्रोपर ऑफिसर ने मॉनिटरिंग कमीटी के निर्देशों पर कार्य किया, जिसमें सीजीएसटी एक्ट के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की शक्तियों का हवाला दिया गया। इसके तहत बोर्ड को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है, जिसे प्रशासनिक अधिकारी को पालन करना होता है। इस आधार पर, प्रोपर ऑफिसर ने कर वसूली की प्रक्रिया शुरू की।*

***न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय:** न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि **वसूली प्रक्रिया** के दौरान **ब्याज का निर्धारण** गलत तरीके से नहीं किया गया है और, बकाया ब्याज का भुगतान स्वचालित रूप से याचिकाकर्ता पर लागू होता है, चाहे डेबिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से हो या कैश लेजर से। यदि **विलंबित भुगतान** हुआ है, तो याचिकाकर्ता पर ब्याज का भुगतान करना कानून के तहत एक वैधानिक दायित्व है। **ब्याज की गणना** को लेकर*

*याचिकाकर्ता का तर्क अस्वीकृत किया गया, क्योंकि **केंद्रीय बोर्ड के निर्देश** के तहत **प्रोपर अधिकारी** को कार्रवाई करने का अधिकार था। याचिकाकर्ता ने **इनपुट टैक्स क्रेडिट** के **संसाधन को लेकर** भी मुद्दे उठाए थे, लेकिन न्यायालय ने पाया कि यदि कर **देय है**, तो ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है, भले ही डेबिट क्रेडिट लेजर से किया गया हो या नहीं। अंततः, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि **विलंबित रिटर्न** और **टैक्स भुगतान में देरी** के परिणामस्वरूप ब्याज की देनदारी स्वचालित रूप से लागू होती है। इसके परिणामस्वरूप याचिका खारिज कर दी गई और पक्षों को **लागत** का भुगतान करने का आदेश दिया गया।*

संदर्भित:

- ***मेसर्स इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड***
- ***मेसर्स रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड***
- ***मेसर्स आरएसबी ट्रांसमिशन (इंडिया) लिमिटेड***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति, श्री हरीश कुमार

सीएवी निर्णय

(लेखक: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक : 19-04-2024

याचिकाकर्ता, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षिप्त में कहें तो अधिनियम) के तहत एक करदाता है। वह कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए देय ब्याज से संबंधित लेखापरीक्षा पर उठाई गई दो आपत्तियों के विरुद्ध मांगी गई अनिवार्य वसूली से व्यथित है, जबकि लेखापरीक्षा पर उठाई गई अन्य सात आपत्तियां अधिनियम की धारा 74 के तहत जारी नोटिस का विषय हैं।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम केजरीवाल ने तर्क दिया कि दिनांक 26.08.2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक-पी/3) में नौ आपत्तियां उठाई गई थीं, जिनमें से सभी का उत्तर दिनांक 12.09.2022 के अनुलग्नक-पी/4 द्वारा दिया गया था। उचित अधिकारी ने उत्तर पर विचार करने के बाद अधिनियम की धारा 65 (7) के साथ धारा

74 को लागू किया और लेखापरीक्षा पर उठाई गई नौ आपत्तियों में से सात के संबंध में नोटिस जारी किया। जहां तक दो कर निर्धारण वर्षों के लिए देय ब्याज से संबंधित दो आपत्तियों का सवाल है, तो अधिनियम की धारा 74(5) के साथ नियम 142 के तहत अनुलग्नक-पी/7, दिनांक 30.12.2022 द्वारा तुरंत एक मांग नोटिस जारी किया गया। बाद में धारा 74(1) के तहत अनुलग्नक-पी/9 दिनांक 18.07.2023 के रूप में एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन दो के अलावा सात आपत्तियों के बारे में बताया गया जिनके लिए मांग उठाई गई थी। याचिकाकर्ता की गई अनिवार्य मांग से व्यथित है और वसूली की कार्यवाही की गई, जबकि ब्याज पर उक्त मांग के खिलाफ आपत्तियों पर भी उचित अधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए था। यह बताया गया है कि उचित अधिकारी ने मांग नोटिस के अनुसार भी निगरानी समिति के निर्देशों पर काम किया है।

3. अधिनियम के तहत ब्याज का प्रश्न हालांकि स्वचालित है, लेकिन यह इस तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करता है कि कर कब देय हुआ और कर का भुगतान कब किया गया और किस माध्यम से किया गया। माल और सेवा कर व्यवस्था में, ब्याज का आरोपण इस बात पर निर्भर करेगा कि डेबिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से किया गया है या नहीं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुलग्नक-पी/3 में दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भी जीएसटी देनदारियों को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ऑफसेट किया गया था। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 51 के तहत देरी होने पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है और इसलिए याचिकाकर्ता पर देयता बढ़ जाती है। हालांकि, यह बताया गया है कि धारा 50(1) का प्रावधान स्पष्ट रूप से केवल तभी ब्याज देयता लगाता है जब कर भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट द्वारा किया जाता है। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का संबंध है, यह करदाता के खाते में जमा किया गया इनपुट टैक्स है, जो करदाता के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सरकार को भेजी गई उसकी खरीद पर लगाया गया कर है। यह राशि पहले से ही सरकार के खजाने में है और आउटपुट टैक्स के लिए सेट ऑफ केवल एक बुक एडजस्टमेंट है, जो करदाता को ब्याज देयता से मुक्त कर देगा। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **सुश्री रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त डब्ल्यू.पी. संख्या 23360 और 23361/2019** में 06.01.2020 को तय किए गए उच्च न्यायालय के अनुलग्नक-पी/11 के रूप में प्रस्तुत विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय पर भरोसा किया। धारा 50(1) के तहत विशिष्ट प्रावधान पर भरोसा किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसे धारा 50(1) में एक विसंगति को ठीक करने के लिए पेश किया गया था और कर के केवल उस हिस्से पर ब्याज लगाने की आवश्यकता थी जो नकद में भुगतान किया जाता है।

4. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, डॉ. के.एन. सिंह ने, हालांकि, बताया कि धारा 50(1) का प्रावधान केवल तभी ब्याज लगाने में सक्षम बनाता है जब डेबिट नकद खाता बही से किया जाता है और यह ब्याज लगाने पर रोक नहीं लगाता है जब डेबिट क्रेडिट खाता बही से किया जाता है। चाहे वह क्रेडिट खाता बही से हो या नकद खाता बही से, कर का भुगतान केवल तभी किया जा सकता है जब रिटर्न दाखिल किया जाता है और यदि देरी होती है; धारा 50(1) स्पष्ट रूप से करदाता पर ब्याज की देयता को कम करती है, जिसने ऐसी देरी की है।

5. जहां तक उचित अधिकारी द्वारा निगरानी समिति के निर्देशों पर कार्य करने के बारे में तर्क है, धारा 2(16) के अनुसार केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ही सीजीएसटी अधिनियम के संबंध में बोर्ड है। धारा 168(1) के अनुसार बोर्ड को निर्देश या निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह ऐसी प्रदत्त शक्ति पर आधारित है; जिसका पालन करने के लिए विभाग के प्रशासनिक अधिकारी बाध्य हैं, जिसके अनुसार उचित अधिकारी ने वसूली के लिए कार्यवाही की। यह बताया गया है कि सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 88बी कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज की गणना करने के तरीके को निर्दिष्ट करता है, जिसमें उप-नियम (1) धारा 50 के प्रावधान का शब्दशः पुनरुत्पादन है। नियम 88बी का उप-नियम (2) धारा 50 की उप-धारा (1) के अनुसार ब्याज लगाने को निर्दिष्ट करता है। विद्वान एएसजी ने विशेष रूप से बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय के उसी एकल न्यायाधीश, जिसने अनुलग्नक-पी/11 निर्णय दिया था, ने **मेसर्स इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त; डब्ल्यू.पी. संख्या 19044/2019 और डब्ल्यू.एम.पी. संख्या 18404/2019** दिनांक 29.08.2022 में अन्यथा निर्णय दिया है। इसमें, पहले उद्धृत निर्णय और धारा 50 (1) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, करदाता के तर्क को अस्वीकार कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसके क्रेडिट में मौजूद शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए। **मेसर्स आरएसबी ट्रांसमिशन (इंडिया) लिमिटेड बनाम यूओआई और अन्य में डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 23/2022** में झारखंड उच्च न्यायालय के रांची स्थित डिवीजन बेंच के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है। विद्वान एएसजी द्वारा उठाए गए तर्क के अनुसार, वसूली को बरकरार रखा जाना चाहिए।

6. हम पहले इस मामले में उत्पन्न तथ्यों पर लागू कानून पर विचार करने से पहले निर्णयों पर गौर करेंगे। अनुलग्नक-पी/11 का निर्णय सीजीएसटी अधिनियम के तहत एक करदाता से संबंधित है, जिसमें विलंबित रिटर्न दाखिल किया गया था और सक्षम अधिकारी ने रिटर्न के साथ करों पर भेजे जाने वाले ब्याज की गणना करते हुए मांग जारी की थी। करदाता ने इस आधार पर इस पर आपत्ति जताई कि उनके पास पर्याप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट

(संक्षिप्तता के लिए, आईटीसी) है और इस प्रकार ब्याज की मांग नहीं की जा सकती। न्यायालय ने इस मुद्दे को तैयार किया कि क्या आईटीसी के घटक पर ब्याज देय होगा, जो कि विभाग के पास उपलब्ध था; जिसे अगस्त 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए कर मांगों के लिए समायोजित किया गया था। तथ्यों पर विचार करने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रश्न को फिर से तैयार किया कि क्या करदाता को देय क्रेडिट, यदि समायोजन के माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो भी उसे विलंबित या विलंबित कहा जा सकता है। यह माना गया कि 'विलंबित' शब्द वंचितता की स्थिति को दर्शाता है, जो राज्य को कर घटक का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि से वंचित करता है, जब तक कि रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, कर के प्रेषण के साथ। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार आईटीसी की उपलब्धता वंचितता की अवधारणा के विपरीत है, क्योंकि करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करदाता द्वारा अपने आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया कर है और उस आपूर्तिकर्ता द्वारा राज्य के खजाने में भेजा जाता है। तर्क यह प्रतीत होता है कि करदाता के आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कर हमेशा राज्य के उपयोग के लिए उपलब्ध था और इसलिए, रिटर्न दाखिल करते समय प्रेषण के माध्यम से केवल पुस्तक समायोजन, भले ही देरी से हो, राज्य को क्रेडिट लेजर से किए गए ऐसे समायोजन पर ब्याज की देयता को कम करने में सक्षम नहीं करेगा। धारा 50(1) के तहत पेश किए गए प्रावधान पर विशेष रूप से गौर किया गया, जिसमें पाया गया कि यह विसंगति को स्पष्ट करता है और केवल नकद खाता बही से किए गए भुगतान पर ब्याज की देयता का प्रावधान करता है।

7. **मेसर्स इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) में उसी विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले के निर्णय और धारा 50 (1) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विपरीत रुख अपनाया। इसमें तथ्य यह दर्शाते हैं कि जुलाई 2017 के महीने के लिए रिटर्न दाखिल किया गया था, जिसे ठीक से प्रस्तुत नहीं किया गया था और प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। रिटर्न दाखिल करने से पहले ही आउटपुट टैक्स देयता पूरी तरह से कैश लेजर में जमा कर दी गई थी। याचिकाकर्ता लगातार त्रुटि को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप मासिक रिटर्न में देरी हो रही थी, जिससे उचित अधिकारी को विलंबित भुगतानों पर ब्याज लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक अंतरिम आदेश द्वारा आयुक्त को याचिकाकर्ता को सुनने और आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। निर्णय में आयुक्त के आदेश को उद्धृत किया गया, जो दर्शाता है कि करदाता का दावा था कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में योग्य आईटीसी था और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पर्याप्त नकदी शेष थी। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नकदी जमा करना चूंकि जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से पहले था, इसलिए ब्याज के लिए कोई देयता नहीं हो सकती थी।

8. आयुक्त ने पाया कि जब तक करदाता रिटर्न दाखिल नहीं करता है और कर देयता के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और नकद लेजर से डेबिट प्रविष्टि नहीं की जाती है, तब तक संबंधित कर अवधि के लिए कर देयता के संबंध में, इसे अधिनियम के तहत विधिवत कर का भुगतान नहीं माना जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 50 (1) और उसके प्रावधान पर गौर किया और माना कि राजस्व के दृष्टिकोण से यह मान लेना जोखिम भरा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट की उपलब्धता को उपयोग माना जाना चाहिए; करदाता को ब्याज लगाने से अलग करना। यह माना गया कि जब तक करदाता वास्तव में रिटर्न दाखिल नहीं करता है और संबंधित रजिस्टरों को डेबिट नहीं करता है, तब तक अधिकारियों से यह मानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उपलब्ध क्रेडिट कर देयता के खिलाफ सेट ऑफ किया जाएगा। पहला मामला इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट का था और दूसरा मामला इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। हमें स्पष्ट संघर्ष पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्णयों में बाध्यकारी मिसाल की चमक नहीं है।

9. **मेसर्स आरएसबी ट्रांसमिशन (इंडिया) लिमिटेड** (उपरोक्त) ने फिर एक सवाल उठाया कि क्या जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दाखिल करने से पहले, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा सरकारी खजाने में वैध चालान के माध्यम से कर के रूप में जमा की गई राशि को कर देयता से मुक्ति माना जा सकता है और क्या इस पर ब्याज लगाया जा सकता है, यह मानते हुए कि रिटर्न दाखिल करने में देरी एक ऐसी परिस्थिति है जो जीएसटी अधिनियम की धारा 50 को आकर्षित करती है। उसमें, अवधि जुलाई 2017 से 2019 के बीच थी और कर की राशि रिटर्न दाखिल करने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दी गई थी। हमें तुरंत ध्यान देना होगा कि तथ्य एक ऐसी परिस्थिति का संकेत देते हैं जो स्पष्ट रूप से धारा 50(1) के प्रावधान के अंतर्गत आती है। विद्वान डिवीजन बेंच ने पाया कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर विभाग के साथ बनाए गए कर बहीखाते का एक खाता है तक बैंकों में जमा करें, जिससे कर के रूप में भुगतान किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में राशि जमा करने मात्र से वह कर जमा या सरकारी खाते में भुगतान नहीं हो जाता। विभिन्न प्रावधानों विशेष रूप से धारा 49 को निकालने के बाद पाया गया कि उप-धारा (11) का स्पष्टीकरण इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की तारीख को मात्र जमा मानता है जो कर देयता के भुगतान के बराबर नहीं है। केवल जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को अधिनियम के तहत कर, ब्याज या जुर्माना या किसी अन्य बकाया के भुगतान के लिए डेबिट किया जाता है, तो धन उपयोग के लिए राज्य को हस्तांतरित हो जाता है। यह भी पाया गया कि अधिनियम की योजना यह है कि कोई भी व्यक्ति रिटर्न दाखिल करने से पहले कर का भुगतान नहीं कर सकता है, भले ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा किया गया हो या पड़ा हो। यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि कर देयता केवल जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दाखिल करने पर ही समाप्त होती है, जिसकी अंतिम तिथि उस

अगले महीने की 20 तारीख है जिस दिन कर देय है। रिटर्न अंतिम तिथि से पहले भी दाखिल किया जा सकता है और इस तरह की कर देयता को दाखिल करने पर समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दाखिल करने से पहले किसी भी तारीख को नकद खाता बही में जमा करना राज्य के खजाने में देय कर का भुगतान नहीं माना जाएगा।

10. हम झारखंड उच्च न्यायालय की रांची स्थित खंडपीठ द्वारा निर्धारित प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं , भले ही इसमें भी किसी मिसाल की चमक नहीं है। हमारा मानना है कि यह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर भी पूरी तरह लागू होता है; जिसे हम अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों से प्रदर्शित करेंगे । जहाँ तक विद्वान एकल न्यायाधीश के दो परस्पर विरोधी निर्णयों का सवाल है, हम **मेसर्स इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) में बाद के निर्णय से सहमत हैं और प्रदर्शित करेंगे कि कैसे, पहले निर्णय में निर्धारित प्रस्ताव जीएसटी अधिनियम की योजना और प्रावधानों के विपरीत होगा।

11. धारा 50(1) और इसके परंतुक की व्याख्या अलग-अलग नहीं की जा सकती। धारा 39 में '*रिटर्न प्रस्तुत करना*' का नाममात्र शीर्षक है और रिटर्न प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके भाग के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक आपूर्ति, प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, देय कर, भुगतान किया गया कर और ऐसे अन्य विवरण; निर्धारित प्रारूप और तरीके से। धारा 39 की उप-धारा (2) से (5) अलग-अलग करदाताओं और कर प्रेषण के अलग-अलग तरीकों को संदर्भित करती है जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है; न ही उप-धारा (6), जो आयुक्त द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए समय के विस्तार की बात करती है। उप-धारा (7) के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जिसे उप-धारा (1) के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करना है, को सरकार को ऐसे रिटर्न के अनुसार देय कर का भुगतान उस अंतिम तिथि से पहले नहीं करना होगा, जिस तिथि को उसे ऐसा रिटर्न दाखिल करना अपेक्षित है। इसलिए, कर का भुगतान अंतिम तिथि या उससे पहले की किसी भी तिथि को रिटर्न दाखिल करने के साथ ही करना होगा।

12. धारा 41 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने से संबंधित है और उप-धारा (1) के अनुसार निर्धारित ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति अपने रिटर्न में स्व-मूल्यांकन के अनुसार पात्र इनपुट टैक्स का क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार है और ऐसी राशि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट केवल स्व-मूल्यांकन पर होता है, जो कि क़ानून में परिकल्पित है, केवल रिटर्न प्रस्तुत करने पर होता है। महज यह तथ्य कि करदाता के आपूर्तिकर्ता ने सरकार को कर का भुगतान किया; जिसे करदाता ने खरीद पर भुगतान किया है, अकेले इससे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट नहीं बनेगा। इनपुट टैक्स का क्रेडिट के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में

तभी होता है जब रिटर्न दाखिल किया जाता है जो कि करदाता द्वारा किया गया स्व-मूल्यांकन है।

13. अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या हैं; जिन्हें धारा 2 की उपधारा (43) और (46) के तहत धारा 49 की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट लेजर के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 49 में *'कर जुर्माना और अन्य राशियों का भुगतान'* का नाममात्र शीर्षक है। उप-धारा (1) एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को करदाता के लिए उपलब्ध एक खाता बही के रूप में परिभाषित करती है, जिसे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या एनईएफटी या आरटीजीएस या ऐसे अन्य तरीके से, निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जमा किया जा सकता है। जैसा कि झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर करदाता द्वारा विभाग के साथ रखा गया एक खाता है और स्वयं के लिए किए गए क्रेडिट जरूरी नहीं कि कर का भुगतान हो। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक कानूनी इकाई द्वारा बैंक में रखे गए चालू खाते के समान है; जहाँ कोई ब्याज अर्जित नहीं होता है, केवल इस प्रतिबंध के साथ कि किए गए डेबिट, जीएसटी अधिनियम के तहत कर, ब्याज, जुर्माना या किसी अन्य बकाया के भुगतान के विरुद्ध होने चाहिए। धारा 49 (1) को धारा 39 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, यह इंगित करेगा कि कर का भुगतान केवल रिटर्न प्रस्तुत करने पर होता है, जो भुगतान नकद लेजर से किए गए डेबिट के माध्यम से होता है।

14. अब, हम धारा 49 की उप-धारा (2) में बताए गए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को देखते हैं, जो विशेष रूप से इंगित करता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वह है जो पंजीकृत व्यक्ति के रिटर्न में किए गए स्व-मूल्यांकन पर करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया जाता है। यह फिर से इंगित करता है कि केवल तभी जब रिटर्न दाखिल किया जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करदाता के लाभ के लिए अर्जित होता है, न कि तब जब करदाता द्वारा क्रेता के रूप में अपने आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया कर, आपूर्तिकर्ता द्वारा राज्य को भेजा जाता है। आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया प्रेषण निश्चित रूप से सरकार के खजाने में जाता है, लेकिन यह क्रेता के पक्ष में एक इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में तभी एक क्रेडिट में बदल जाता है, जब क्रेता धारा 39 के अनुसार रिटर्न प्रस्तुत करता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करके रिटर्न में स्व-मूल्यांकन करता है।

15. इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास धारा 50 पर विचार करने के लिए है। धारा 50 में' कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज' का नाममात्र शीर्षक है। उप-धारा (1) निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम और नियमों के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को इसका भुगतान करने में विफल रहता है, देरी की अवधि के लिए, परिषद की सिफारिशों पर सरकार

द्वारा अधिसूचित 18 प्रतिशत से अधिक नहीं की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए, जब कर के भुगतान में देरी होती है तो पंजीकृत व्यक्ति की ओर से करदाता पर स्वयं भुगतान करने और देरी की अवधि के लिए ब्याज देयता को पूरा करने का दायित्व होता है। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का संबंध है, हमने देखा है कि कर, ब्याज जुर्माना या किसी अन्य बकाया का भुगतान तभी किया जाता है जब रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है; जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट से डेबिट की सुविधा मिलती है जिसे फिर राज्य के खजाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह उस समय से है जब करदाता ने इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर किया था, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट बढ़ गया।

16. जहां तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का सवाल है, क्रेडिट तभी होता है जब रिटर्न दाखिल किया जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करता है। आउटपुट टैक्स के खिलाफ सेट ऑफ भी तभी होता है जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आउटपुट टैक्स के खिलाफ रिटर्न में इस तरह के सेट ऑफ का दावा किया जाता है। इसलिए, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हो या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कर के भुगतान में हुई देरी पर ब्याज देय होता है; यह भुगतान केवल रिटर्न दाखिल करने और इन दोनों लेजर में से किसी एक से एक साथ डेबिट होने पर होता है; कैश लेजर या क्रेडिट लेजर। कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करना एक साथ होना चाहिए और कोई भी एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकता है।

17. **मेसर्स रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड** (उपरोक्त) ने पाया कि क्रेडिट लेजर से डेबिट पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया, गलती से देरी का पता लगाने के लिए वंचित करने की अवधारणा पर भरोसा किया गया; यह अवलोकन हम अपने आदेश के अनुसार पूरे सम्मान के साथ करते हैं। तर्क यह था कि वंचित करने का पहलू अनुपस्थित होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में राशि हमेशा सरकार के पास उपलब्ध रहती है। हमारा निष्कर्ष **मेसर्स इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) में उसी विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के अनुरूप है, जिसमें आयुक्त के आदेश को निर्णय में बरकरार रखा गया, जो कमोबेश हमारी व्याख्या का अनुसरण करता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से कहा कि "*जब तक करदाता वास्तव में रिटर्न दाखिल नहीं करता है और संबंधित रजिस्टरों को डेबिट नहीं करता है, तब तक अधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे यह मान लें कि उपलब्ध क्रेडिट को कर देयता के विरुद्ध सेट ऑफ कर दिया जाएगा*" (**sic**-पैरा-16)

18. जैसा कि हमने देखा, हम भी झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ से पूरी तरह सहमत हैं और केवल इतना जोड़ना चाहेंगे कि रिटर्न दाखिल करने के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के तहत डेबिट से संबंधित ब्याज लगाने का तर्क, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के तहत डेबिट पर भी समान रूप से लागू होता है; और भी अधिक इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक

क्रेडिट लेजर में क्रेडिट भी तभी होता है जब कर अवधि के लिए दाखिल रिटर्न, भुगतान किए गए इनपुट टैक्स का दावा करता है।

19. अब हम धारा 50(1) में प्रावधान के लागू होने के प्रभाव पर आते हैं। प्रावधान में यह अनिवार्य किया गया है कि कर अवधि के दौरान की गई आपूर्तियों के संबंध में देय कर पर ब्याज और उस अवधि के लिए रिटर्न में घोषित, जो रिटर्न धारा 39 के तहत नियत तारीख के बाद प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस हिस्से पर देय होगा, जिसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके किया जाता है; सिवाय जब उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या 74 के तहत कार्यवाही शुरू की जाती है।

20. याचिकाकर्ता के तर्क में प्राथमिक भ्रांति इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट को ब्याज की देयता से पूरी तरह मुक्त करने वाले प्रावधान पर की गई व्याख्या है। पुनरावृत्ति के जोखिम पर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर का परिणामी भुगतान केवल तभी होता है जब रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है। यदि रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी होती है तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट आने में देरी होती है और परिणामस्वरूप सरकार को कर, ब्याज, जुर्माना या अधिनियम के तहत देय अन्य राशियों के रूप में भुगतान किया जाता है। जिस विसंगति को ठीक करने की मांग की गई है, वह देरी से दाखिल किए गए रिटर्न के संदर्भ में ब्याज लगाने पर रोक लगाने की नहीं है, जब अधिनियम के तहत देय राशियों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से किया जाता है। जिस विसंगति को ठीक करने की मांग की गई है, वह इस हद तक है कि करदाता अधिनियम के तहत देय कर, ब्याज, जुर्माना या अन्य राशियों के भुगतान में नकद लेजर में जमा राशि का दावा करता है। जैसा कि हमने देखा, किसी करदाता द्वारा नकद खाता बही में जमा की गई राशि आवश्यक रूप से उसे के तहत जमा की तारीख से अधिनियम के तहत बकाया राशि का भुगतान नहीं माना जाता है। जमा राशि एक चालू खाते के समान है, जिसमें से कर, ब्याज, जुर्माना या अधिनियम के तहत देय अन्य राशियों के भुगतान के उद्देश्य से डेबिट किए जाने हैं। इस तरह के डेबिट किए जाएंगे और राज्य के खजाने में परिणामी भुगतान तभी होगा जब रिटर्न प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 50(1) के प्रावधान का उद्देश्य किसी भी धारणा को दूर करना था कि केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की गई राशि जमा की तारीख को अधिनियम के तहत बकाया राशि की संतुष्टि होगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से किए गए डेबिट के लिए लेवी को प्रतिबंधित करना नहीं था; जो कि अधिनियम के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान में तभी परिवर्तित होता है जब रिटर्न प्रस्तुत किए जाते हैं।

21. अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों पर हमारे द्वारा की गई व्याख्या, जो अधिनियम की योजना की उचित समझ भी है, हम याचिकाकर्ता के इस दावे को अस्वीकार

करने के लिए सहमत हैं कि धारा 50(1) के प्रावधान के अनुसार केवल तभी ब्याज लगाया जाना चाहिए जब रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी हो और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट और भुगतान किया गया हो। जैसा कि हमने पाया कि धारा 50(1) विशेष रूप से के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने में किसी भी देरी पर ब्याज की देयता को कम करती है, क्योंकि रिटर्न प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप कर, ब्याज, जुर्माना या अधिनियम के तहत देय अन्य राशि का भुगतान होता है, जैसा कि रिटर्न में स्व-मूल्यांकित किया जाता है। न तो कैश लेजर में जमा की गई राशि और न ही खरीद पर भुगतान किए गए कर पर किए गए प्रेषण से सरकार को अधिनियम के तहत देय राशि का भुगतान होता है। जहां तक करदाता द्वारा की गई खरीद पर आपूर्तिकर्ता द्वारा कर के भुगतान का प्रश्न है, यहां तक कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तभी होता है जब इनपुट टैक्स के लिए दावा करते हुए रिटर्न स्व-मूल्यांकन पर प्रस्तुत किया जाता है।

22. इस व्याख्या के साथ हमें यह पता लगाना है कि विलंबित रिटर्न प्रस्तुत करने पर, ब्याज देयता स्वतः ही होगी, चाहे भुगतान धारा 50(1) के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से किया जाए । यह भी अनिवार्य करता है कि देरी होने पर करदाता को ब्याज का भुगतान स्वयं करना होगा; जो अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश या मांग से स्वतंत्र एक वैधानिक बाध्यता है। प्रावधान केवल किसी भी विसंगति की धारणा को दूर करता है और अधिनियम की योजना को और मजबूत करता है और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से किए गए विलंबित भुगतान पर के मामले में देयता से छूट देता है; भले ही कैश लेजर में रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पहले ही ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से ऐसी राशि जमा हो गई हो।

23. हम, उक्त व्याख्या पर, मामले के तथ्यों को देखते हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा पैराग्राफ संख्या 1 में बताए गए ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2018-19 में डीआरसी-3 के माध्यम से विलंबित भुगतान पर 82,57,170 रुपये की ब्याज राशि का भुगतान न करने की बात कही गई है। पाया गया कि करदाता ने जीएसटी देनदारियों को केवल 12.05.2020 को ऑफसेट किया था, जब मासिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अगले महीने थी। जीएसटी देनदारियों की भरपाई केवल रिटर्न प्रस्तुत करने पर होती है और इनपुट टैक्स लेजर में क्रेडिट भी केवल रिटर्न प्रस्तुत करने पर ही होता है। हम निर्दिष्ट करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा केवल आकलन वर्ष 2018-19 के लिए किया जाता है, जिसे हम केवल आगे स्पष्टीकरण के उद्देश्य से करते हैं वित्तीय वर्ष 2017-18 में डीआरसी-3 के माध्यम से विलंबित नकद भुगतान पर 33,03,954/- का भुगतान किया गया। इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से केवल 30.01.2020 को देनदारियों की भरपाई की गई थी; जिसे रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि भी माना जाता है। जहां तक वित्तीय वर्ष 2017-18 की बात है,

याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर भी कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है कि ब्याज देयता करदाता-याचिकाकर्ता पर आती है; क्योंकि डेबिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होता है।

24. अब, हम धारा 79 के तहत अनुलग्नक-पी/10 में उचित अधिकारी द्वारा पारित वसूली के अनिवार्य आदेश को देखते हैं । लगाई गई राशियाँ पैराग्राफ संख्या 1 और 2 में उल्लिखित हैं, जैसा कि कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यहाँ उद्धृत किया गया है। आदेश में विशेष रूप से निगरानी समिति की बैठक (एमसीएम) में व्यक्तिगत सुनवाई की बात कही गई है और समिति ने प्रस्तुत किए गए सबमिशन को अस्वीकार कर दिया है और करदाता को सीजीएसटी/एसजीएसटी ब्याज के उचित शीर्षक के तहत सरकारी खाते में ब्याज राशि जमा करने के लिए कहा है।

25. हम इस बात से स्पष्ट हैं कि निगरानी समिति द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है और इस तरह के पदानुक्रमिक निर्णय को उचित अधिकारी पर बाध्यकारी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 2(16) अधिनियम के तहत बोर्ड को केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत गठित बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट करती है और धारा 168 ऐसे बोर्ड को निर्देश या निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। विद्वान एएसजी का यह कहना है कि निगरानी समिति बोर्ड द्वारा गठित समिति है और उचित अधिकारी जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। बोर्ड को प्रदत्त शक्ति निश्चित रूप से बोर्ड को निर्देश और निर्देश जारी करने का अधिकार देती है जिसका विभागीय अधिकारियों को ईमानदारी से पालन करना होता है तथापि, अनुदेश और निर्देश जारी करने के लिए प्रदत्त वैधानिक शक्ति द्वारा बोर्ड एक निकाय का गठन नहीं कर सकता है जो *'डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगरी'* के सिद्धांत पर विभागीय अधिकारियों को बाध्यकारी आदेश जारी कर सके।

26. हमने प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाबी हलफनामे को देखा है जिसमें अनुलग्नक-आर(ए) प्रस्तुत किया गया है जो निगरानी समिति की बैठक के निर्देश हैं जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक-पी/3 है। लेखापरीक्षा के द्वारा की गई आपत्तियां और निगरानी समिति के निर्णय उचित अधिकारी को इसका अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं और उचित अधिकारी ही वह व्यक्ति है जिसे मामले पर विचार करना है और अंतिम मूल्यांकन तथा प्रक्रिया और प्रभाव वसूली के संबंध में निर्णय पर पहुंचना है।

27. जैसा भी हो, जहां तक कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के संबंध में लेवी का सवाल है, याचिकाकर्ता को कोई विवाद नहीं हो सकता क्योंकि स्पष्ट रूप से डेबिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से किया गया था। इसलिए, वर्ष 2017-18 के लिए अनुलग्नक-पी/10 के तहत मांग के लिए उचित अधिकारी को रिमांड करना एक बेकार औपचारिकता होगी।

28. हमने यह भी पाया है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से किए गए डेबिट के संबंध में भी यदि रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी होती है, जो अधिनियम के तहत सरकार के खजाने में

देय राशि के भुगतान में देरी को भी पूर्व निर्धारित करता है, तो करदाता पर ब्याज देयता बनती है। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में करदाता को पिछले वर्षों के लिए हकदार इनपुट टैक्स का क्रेडिट है; जिसे को पहले के रिटर्न के मुकाबले वापस नहीं किया गया है या सेट ऑफ नहीं किया गया है; किसी न किसी कारण से। इनमें से एक कारण यह हो सकता है कि पिछले महीने कोई बिक्री नहीं की गई है, जिससे करदाता पर कोई आउटपुट टैक्स देयता नहीं बनती है। इस संदर्भ में, हम **मेसर्स रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड**(उपरोक्त) के फैसले पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते हैं, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने करदाता के तर्क पर गौर किया और एक प्रश्न तैयार किया कि क्या आईटीसी के उस घटक पर ब्याज देय होगा जो कि देरी की अवधि के दौरान विभाग के पास उपलब्ध था। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स की उपलब्धता अप्रासंगिक होगी क्योंकि कर भुगतान केवल रिटर्न प्रस्तुत करने पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध क्रेडिट केवल कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने पर आउटपुट टैक्स के विरुद्ध सेट ऑफ किया जाएगा, जब क्रेडिट लेजर से डेबिट किया जाता है। उपरोक्त तर्क के आधार पर हमारा मत है कि वर्ष 2018-19 के लिए भी रिमांड एक बेकार औपचारिकता होगी।

29. हम रिट याचिका को खारिज करते हैं और पक्षकारों को उनकी संबंधित लागत वहन करने के लिए छोड़ते हैं।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति):- मैं सहमत हूं

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

आदित्य रंजन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।